

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 14

दूरसंचार विभाग

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	174.25	3765.00	3939.25	141.33	3673.00	3814.33	327.00	7423.00	7750.00	
पूंजी	200.75	...	200.75	583.67	...	583.67	104.00	...	104.00	
जोड़	375.00	3765.00	4140.00	725.00	3673.00	4398.00	431.00	7423.00	7854.00	
<b>दूरसंचार</b>										
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	...	6.22	6.22	...	6.56	6.56	...	9.76	9.76
2.01 प्रशासन-महानिदेशालय	3451	...	76.47	76.47	...	96.50	96.50	...	140.48	140.48
2.02 प्रशासक-यूएसओ निधि	3451	...	3.30	3.30	...	3.74	3.74	...	5.90	5.90
2.03 सतर्कता निगरानी प्रकोष्ठ	3451	...	15.15	15.15	...	17.77	17.77	...	24.13	24.13
2.04 दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र	3451	0.25	7.58	7.83	0.01	10.04	10.05	...	12.42	12.42
2.05 सी-डेट	3451	137.00	...	137.00	110.00	...	110.00	265.00	...	265.00
2.06 दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र	3451	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
जोड़	142.25	102.50	244.75	113.01	128.05	241.06	270.00	182.93	452.93	
<b>अन्य संचार सेवाएं</b>										
3. वायरलेस अनुवीक्षण सेवाएं	3275	7.50	13.35	20.85	6.00	18.49	24.49	8.00	24.90	32.90
4. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि.को क्षतिपूर्ति	3275	...	...	...	...	...	...	2820.00	2820.00	
5. आई.टी.आई को क्षतिपूर्ति	3275	...	6.45	6.45	...	9.11	9.11	...	8.00	8.00
6. अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जेनेवा व एशिया प्रशान्त दूरसंचार समुदाय को अंशदान	3275	...	14.30	14.30	...	14.30	14.30	...	14.30	14.30
7. बेतार और योजना समन्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम	3275	1.00	2.38	3.38	1.20	3.94	5.14	...	6.68	6.68
8. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को अंतरण	3275	3.00	24.80	27.80	3.00	24.80	27.80	10.00	24.00	34.00
9. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण को अनुदान	3275	1.00	5.00	6.00	1.30	5.75	7.05	1.00	7.43	8.43
10. तकनीकी विकास और निवेश संवर्धन	3275	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
11. पेंशन	2071	...	1590.00	1590.00	...	1862.00	1862.00	...	1925.00	1925.00
12. सार्वभौम सेवा देयता निधि में अन्तरण	3275	...	2000.00	2000.00	...	1600.00	1600.00	...	2400.00	2400.00
13. सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति घटाइए-सार्वभौम सेवा दायित्व निधि से अन्तरण	3275	...	2000.00	2000.00	...	1600.00	1600.00	...	2400.00	2400.00
निवल	3275	...	-2000.00	-2000.00	...	-1600.00	-1600.00	...	-2400.00	-2400.00
14. पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए प्रावधान	2552	17.50	...	17.50	14.82	...	14.82	35.00	...	35.00
<b>पूंजी भाग</b>										
1. मेनलैंड एवं अंडमान निकोबार के बीच समुद्र के अंदर केबल लगाना	5275	5.00	...	5.00	...	...	...	61.00	...	61.00
2. रक्षा सेवाओं के लिए नेटवर्क	5275	152.00	...	152.00	505.09	...	505.09	17.90	...	17.90
3. टेलीकॉम इंजीनियरिंग केन्द्र	5275	8.75	...	8.75	0.90	...	0.90	8.00	...	8.00
4. बेतार अनुवीक्षण संगठन	5275	5.40	...	5.40	5.50	...	5.50	7.00	...	7.00
5. वायरलेस योजना व समन्वयन	5275	2.60	...	2.60	7.50	...	7.50	1.00	...	1.00
6. भारतीय टेलीफोन विनियामक प्राधिकरण	5275	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	...	...	...
7. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को ऋण	6859	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए प्रावधान	4552	20.00	...	20.00	57.68	...	57.68	8.10	...	8.10
<b>जोड़-पूंजी भाग</b>	200.75	...	200.75	583.67	...	583.67	104.00	...	104.00	
<b>कुल जोड़</b>	375.00	3765.00	4140.00	725.00	3673.00	4398.00	431.00	7423.00	7854.00	

सं.14/ दूरसंचार विभाग

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			(करोड़ रुपए)		
		बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट 2009-2010	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि.	12859	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	13225	...	2430.97	2430.97	...	1304.28	1304.28	...	1725.02	1725.02
2. भारत संचार निगम लिमिटेड	13225	...	18591.00	18591.00	...	17891.00	17891.00	...	14015.00	14015.00
4. सी-डॉट	13275	...	37.63	37.63	...	29.96	29.96	...	45.00	45.00
<b>जोड़</b>		...	<b>21059.60</b>	<b>21059.60</b>	...	<b>19225.24</b>	<b>19225.24</b>	<b>1.00</b>	<b>15785.02</b>	<b>15786.02</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
1. दूरसंचार सेवाएं	13225	...	21021.97	21021.97	...	19195.28	19195.28	...	15740.02	15740.02
2. अन्य संचार सेवाएं	13275	337.50	37.63	375.13	652.50	29.96	682.46	387.90	45.00	432.90
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	37.50	...	37.50	72.50	...	72.50	43.10	...	43.10
<b>जोड़</b>		<b>375.00</b>	<b>21059.60</b>	<b>21434.60</b>	<b>725.00</b>	<b>19225.24</b>	<b>19950.24</b>	<b>431.00</b>	<b>15785.02</b>	<b>16216.02</b>

**राजस्व भाग**

1. **सचिवालय:** इसमें दूरसंचार विभाग से संबंधित भाग के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **प्रशासन महानिदेशालय:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के व्यय के लिए है जिसमें सीसीए/वीटीएम इकाइयों, दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र, प्रशासक यूएसओ निधि और टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र टेलीकॉम परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र शामिल हैं।

**अन्य संचार सेवाएं:**

3. **बेतार मानीटरिंग सेवाएं-** इसमें मानीटरिंग अनुवीक्षण संगठन के व्यय के लिए व्यवस्था है जो रेडियो आवृत्ति प्रबन्ध हेतु अनुवीक्षण संबंधी निष्कर्षों के आधार पर तकनीकी और सम्बद्ध आंकड़े उपलब्ध कराता है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कतिपय सांविधिक कार्य पूरे करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों का प्रवर्तन करता है। इसके अतिरिक्त, यह कारगर राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति प्रबंध हेतु रेडियो प्रसारण पर हर समय कड़ी निगाह रखता है।

4. यह प्रावधान भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. को अपने तुलन पत्र के शोधन हेतु देयताओं के निर्वहन के लिए है।

5. **आई.टी.आई. को क्षतिपूर्ति-** इसमें श्रीनगर यूनिट में इसकी हानियों के लिए आई.टी.आई. को प्रदत्त क्षतिपूर्ति पर व्यय के लिए प्रावधान है।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग:** इसमें अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, जेनेवा और एशिया प्रशान्त समुदाय, बैंकाक और कॉमनवेल्थ दूरसंचार संगठन, लंदन को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान है।

7. **बेतार और योजना समन्वय कार्यक्रम:** यह प्रावधान बेतार-नियोजन और समन्वय स्कन्ध से सम्बन्धित व्यय के लिए है। बेतार-नियोजन और समन्वय स्कन्ध पारेषण और अभिग्राही केन्द्रों के लिए भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1885 के विभिन्न उपबन्धों के तहत लाइसेंस जारी करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेतार-आपरेटरों के लिए परीक्षा आयोजित करता है।

8. **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण:** इसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सामान्य निधि को स्थानांतरित करने की व्यवस्था है।

9. **दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण:** इसमें दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित व्यय के लिए व्यवस्था है।

10. **तकनीकी विकास और निवेश संवर्धन:** यह प्रावधान तकनीकी विकास और निवेश संवर्धन के लिए है।

11. **पेंशन:** इसमें भारत संचार निगम लि. में समाप्त कर्मचारियों सहित दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों के लिए प्रावधान है।

12. **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अन्तरण:** इसमें सार्वभौम सेवा देयता निधि को अन्तरण किए जाने के लिए प्रावधान है।

13. **सेवा प्रदाताओं को मुआवजा:** इसमें पहचान किए गए गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों के प्रचालन एवं अनुक्षण हेतु सेवा प्रदाताओं को मुआवजा देने की व्यवस्था है।

**पूँजी भाग**

1. **मेनलैंड और अंडमान निकोबार के बीच समुद्र के अंदर केबल डालना:** यह प्रावधान मेनलैंड और अंडमान निकोबार के बीच समुद्र के अंदर केबल डालने के लिए है।

2. **रक्षा सेवाओं के लिए नेटवर्क:** यह प्रावधान रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क प्रदान करने के लिए है।

3. **दूरसंचार अभियान्त्रिकी केन्द्र:** यह प्रावधान एनजीएन परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए है।

4. **बेतार अनुवीक्षण संगठन:** यह प्रावधान बेतार अनुवीक्षण संगठन के सिविल कार्य के लिए है।

7. **भारतीय टेलीफोन उद्योग लि.:** यह प्रावधान भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. को ऋण प्रदान करने हेतु है।

**आयोजना परिव्यय**

दूरसंचार विभाग के ब.अ. 2009-10 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 16,216.02 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जिसमें बजटीय सहायता के रूप में 431 करोड़ रुपए (सी-डॉट 300 करोड़ रुपए, वायरलेस नियोजन समन्वय हेतु 1 करोड़ रुपए, वायरलेस मानीटरिंग सेवा के लिए 15 करोड़ रुपए, टेलीकॉम इन्जीनियरिंग केन्द्र हेतु 8 करोड़ रुपए, ट्राई के लिए 10 करोड़ रुपए और टीडीएसएटी हेतु 1 करोड़ रुपए, रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के लिए 26 करोड़ रुपए, दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए, भारतीय टेलीफोन उद्योग के लिए 1 करोड़ रुपए, मेनलैंड और अंडमान निकोबार के बीच समुद्र के अंदर केबल डालने के लिए 61 करोड़ रुपए और तकनीकी विकास एवं निवेश संवर्धन के लिए 3 करोड़ रुपए तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/स्वशासी निकाय के आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 15,785.02 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है (महानगर टेलीफोन निगम लि.-1,725.02 करोड़ रुपए तथा भारत संचार निगम लि.- 14,015 करोड़ रुपए और सी डाट-45 करोड़ रुपए)। बजटीय सहायता में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 43.10 करोड़ रुपए का प्रावधान है।